**संख्या: 2(18)/2007-एम एस एम ई-पॉलिसी**
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
निर्माण भवन
**नई दिल्ली-110108**

**अत्यावश्यक/आज ही भेजिए/दस्ती/स्पीड पोस्ट**

**14 दिसम्बर, 2007**

**<u>कार्यालय ज्ञापन</u>**

**<u>विषय:</u>** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 (अध्याय-V सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों को विलम्बित भुगतान) के प्रावधानों का कार्यान्वयन **"वार्षिक लेखा विवरण में भुगतान न की गई ब्याज सहित राशि को उल्लेख करने हेतु अपेक्षा" से सम्बन्धित धारा-22-** कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचिना सं. जी.एस.आर.719(अ) दिनांक 16 नवम्बर, 2007

******

एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में, कारपोरेट मंत्रालय ने अधिसूचना सं. जी.एस.आर.719(अ) दिनांक 16 नवम्बर, 2007 द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिनमें कंपनियों के तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे के प्रारूप को निर्धारित किया गया है ताकि एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा-22, जो [सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम एस ई) को देय विलम्बित भुगतानों पर] मूलधन तथा तत्संबंधी देय ब्याज को वार्षिक लेखा विवरण में अलग से दर्शाने की मांग करता है, के प्रावधानों को निगमित किया जा सके। दिनांक 24 दिसम्बर, 2006 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा सभी सम्बन्धितों को परिचालित और बेबसाईट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.डीसीएमएसएमई.जीओवी.इन) पर स्थापित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 के परिपत्र सं. 12/2006 द्वारा अधिसूचित अनुदेशों के साथ सम्बद्ध कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना से ब्याज के भुगतान के कारण अनानुमत्य खरीदकर्त्ता द्वारा भुगतान की गई सही राशि तथा उक्त अधिनियम की उप धारा-23 के कार्यान्वयन का पता लगाया जा सकेगा, जो यह निर्धारित करता है कि देय ब्याज अथवा एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अथवा उनके अनुसरण में किसी खरीदकर्त्ता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि को आय की गणना में, कटौती के रूप में अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2. उक्त अधिसूचना की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि उसे केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थानों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एम एस ई एफ सी), आदि सहित सभी सम्बन्धितों के ध्यान में लाया जाए और उसका व्यापक प्रचार किया जाए ताकि इन अनुदेशों को वास्तव में लागू किया जा सके। अधिसूचना सहित का.ज्ञा. वेबसाईट (डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.डीसीएमएसएमई.जीओवी.इन) पर भी उपलब्ध है।

3. कृपया इसे तत्काल समझा जाए।

**संलग्नक: यथोपरि**

संजीव कौशल

(संजीव कौशल)
संयुक्त सचिव एवं अपर विकास आयुक्त
दूरभाष:23062694 फैक्स: 23061972

1. सचिव, भारत सरकार (सभी मंत्रालय/विभाग)
2. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र/अनुदेशों की विषयवस्तु को सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के प्रमुखों की उनकी सूचना एवं अनुपालनार्थ जानकारी में लाया जाए।
3. सचिव, उद्योग/उद्योग निदेशालय (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)।
4. निदेशक, एम एस एम ई-विकास संस्थान (एसआईएसआई)/प्रभारी, शाखा, एम एस एम ई विकास संस्थान।
5. अध्यक्ष, सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र/अनुदेशों की विषयवस्तु को उनके सभी सदस्यों की जानकारी में लाया जाएगा।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन एस आई सी, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लखनऊ।
8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में उपसचिव स्तर तक के सभी अधिकारीगण।
9. विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्माण भवन, नई दिल्ली के सभी अनुभाग तथा निदेशक स्तर तक के सभी अधिकारीगण।
10. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज्य वित्तीय निगमों सहित वाणिज्यिक बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं।
11. विषयवस्तु को वेबसाईट पर स्थापित करने हेतु उप-निदेशक (सेनेट)।
12. डाक सूची के अनुसार अन्य सभी।